न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 24/2016 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – प्रार्थी	बनाम	1. श्री टीकमदास तोलानी पुत्र श्री चुहडमल तोलानी (विक्रेता) मैसर्स– टीकमदास चुहडमल, नाथद्वारा सराय, गुर्जर मौहल्ला, जिला भीलवाडा स्थाई पता – मकान संख्या – 28, शास्त्री नगर, भीलवाडा —विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 27.06.2017

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री टीकमदास तोलानी पुत्र श्री चुहडमल तोलानी (विक्रेता) मैसर्स– टीकमदास चुहडमल, नाथद्वारा सराय, गुर्जर मौहल्ला, जिला भीलवाडा (राज.) पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् ब्रेड, टोस इत्यादि का निर्माण कर विक्रय कर रहा था। मैसर्स टीकमदास चुहडमल, नाथद्वारा सराय, गुर्जर मौहल्ला भीलवाडा (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय बाबत ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) के 150–150 ग्राम के 120 पैकेट रखे हुये थे रखे हुए थे। ब्रेड ब्राण्ड कैलोरी मिल्क फ्रेश के एक पैकेट को ध्यान से देखने पर ब्रेड (Brand – Calorie Milk Fresh) Use by Date – Use me 05 Sep. 2015, Nutritional Information – Not Given, Mfg.& PKR By Pious Foods (India) Pvt. Ltd., A-207 (a) , I.P.I.A Road No. 5, Kota- 324005 इत्यादि अंकित था। मौके पर रखे ब्रेड (Brand – Calorie Milk Fresh) में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर वास्ते जाँच हेतु

नमूना लेने की सूचना एफएसएसएक्ट 2006 के तहत फार्म–5 A में नियमानुसार विक्रेता को दी। नियमानुसार ब्रेड (Brand Calorie Milk Fresh) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। विपक्षी को लिये गये खाद्य नमूने के क्रय बिल प्रस्तुत करने बाबत पत्र प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिउत्तर प्राप्त किया। विपक्षी के विरूद्व न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.09.2015 को समय 04:20 PM बजे, बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स – टीकमदास चुहडमल, नाथद्वारा सराय, गुर्जर मौहल्ला, भीलवाडा (राज.) पर पहुंचा। मैंनें विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान/परिसर पर विक्रेता/मालिक की हैसियत से श्री टीकमदास तोलानी पुत्र श्री चुहडमल तोलानी, उम्र 52 वर्ष, जाति – तोलानी, निवासी – मकान संख्या – ए–28, शास्त्री नगर, भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को बिस्किट, टोस, ब्रेड इत्यादी का निर्माण कर आम जनता को विक्रय कर रहा था। विक्रेता/मालिक से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत बने खाद्य लाईसेन्स की प्रति मांगी गई । मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य लाईसेंस नही होना बताया गया, विक्रेता द्वारा खाद्य रजि. हेतु शीघ्र आवेदन कर पेश करने बाबत कहा गया।

मैसर्स टीकमदास चुहडमल, नाथद्वारा सराय, गुर्जर मौहल्ला, भीलवाडा का विक्रेता एवं गवाहों की उपस्थिति में दुकान/परिसर का निरीक्षण करने पर पाया कि विक्रेता की दुकान पर आम जनता को विक्रय बाबत् ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) के 150–150 ग्राम के 120 पैकेट रखे हुये थे रखे हुए थे। ब्रेड ब्राण्ड कैलोरी मिल्क फ्रेश के एक पैकेट को ध्यान से देखने पर ब्रेड (Brand – Calorie Milk Fresh) Use by Date – Use me 05 Sep. 2015, Nutritional Information – Not Given, Mfg.& PKR By Pious Foods (India) Pvt. Ltd., A-207 (a) , I.P.I.A Road No. 5, Kota- 324005 इत्यादि अंकित था। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर वास्ते जाँच हेतु नमूना लेने की सूचना एफएसएस एक्ट 2006 के तहत फार्म–5 A में नियमानुसार विक्रेता को दी ।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) के 150–150 ग्राम के 8 पैकेट वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट के तहत खरीदे एवं इन खरीदशुदा 8 पैकेटो का भुगतान 120/– रू. अक्षरे एक सौ बीस रूपये मात्र कर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) के 8 पैकेटों को गवाह विक्रेता के सामने चार भागों में विभाजित कर 4 साफ, सूखी, खाली चौडे मुंह के प्लास्टिक के कंटेनरों में (प्रत्येक कंटेनर में 2 पैकेट) छोटे छोटे टुकडे कर डाला। प्रत्येक कन्टेनर में अलग–अलग

नियमानुसार फार्मेलिन की 24 बुंदे बतौर प्रिजरवेटिव डाली, व ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर विक्रेता, गवाहन व स्वंय के हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को लिये गये ब्रेड (Brand-Callori Milk Fresh) के रेपर के साथ अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर दोनो सिरो को मोडकर गोंद से चिपकाऐं । प्रत्येक नमूना भाग पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप कोड व कम संख्या एक्स–963 को नियमानुसार उपर से लेकर नीचे व नीचे से लेकर उपर तक अच्छी तरह गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/मालिक ने नियमानुसार पेपर स्लीप को कोस करते हुए हस्ताक्षर किये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका पंचनामा तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया । जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये सभी कार्यवाही गवाहों व विकेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों कों सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मोके पर पंचनामें पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विकेता को लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। लिये गये खाद्य नमूना संख्या एक्स–963 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S.625/Act/2015/626 दिनांक 29.09.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, ब्रेड (Brand-Callori Milk Fresh) मिसब्राण्डेड (SUB STANDARD) होना पाया । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री टीकमदास तोलानी पुत्र श्री चुहडमल तोलानी मैसर्स टीकमदास चुहडमल, नाथद्वारा सराय, गुर्जर मौहल्ला, भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) का विकय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 07.04.2016 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 07.04.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 10.05.2016 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी स्वयं उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी से लिया गया खाद्य नमूना ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) मिसब्राण्डेड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) के लेबल पर Nutritional Information का अंकन होना चाहिए लिये गये खाद्य नमूने पर इसका अंकन नही पाया गया। साथ ही लेबल पर Class II Preservatives and Improves का अंकन किया गया। किन्तु कितनी मात्रा में मिलाया गया का अंकन लेबल पर नही किया गया। साथ ही मिलाये गये Permitted Emulsfifir का अंकन भी निर्धारित मापदण्डो के अनुसार नहीं किया गया। इस प्रकार लेबल पर सही लेबलिंग नही कर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 (पैकेजिग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के तहत के नियम 2.2.2(3), 2.2.2.2(F), 2.2.2(5), का उल्लघंन किया है। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) मिसब्राण्डेड होना पाया गया। विक्रेता को लिये गये खाद्य नमूने का क्रय बिल प्रस्तुत करने बाबत रजि. पत्रांक प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत प्रति उत्तर में विक्रेता/मालिक द्वारा अवगत कराया कि लिये गये खाद्य नमूने का क्रय बिल उनके पास नही है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी के विरूद्व जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये, पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु विपक्षी द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विपक्षी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उनके द्वारा लिये गये खाद्य नमूने ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) का क्रय कोटा से किया गया था। किन्तु भूलवश उनके द्वारा क्रय बिल नहीं लिया गया। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नही होगी। प्रकरण में प्रथम अपराध मानते हुए क्षमा करने की प्रार्थना कि गई ।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. L.S.625/Act/2015/626 दिनांक 29.09.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) मिसब्राण्डेड (SUB STANDARD) होना पाया । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि ब्रेड (ब्राण्ड सुरस) के लेबल पर Nutritional Information का अंकन होना चाहिए लिये गये खाद्य नमूने पर इसका अंकन नही पाया गया। साथ ही लेबल पर Class II Preservatives and Improves का अंकन किया गया। किन्तु कितनी मात्रा में मिलाया गया का अंकन लेबल पर नही किया गया। साथ ही मिलाये गये Permitted Emulsfifir का अंकन भी निर्धारित मापदण्डो के अनुसार नहीं किया गया। इस प्रकार लेबल पर सही लेबलिंग नही कर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 (पैकेजिग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के तहत के नियम 2.2.2(3), 2.2.2.2(F), 2.2.2(5), का उल्लघंन किया है। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) मिसब्राण्डेड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) का विक्रय कर

एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है किं विपक्षी श्री टीकमदास तोलानी पुत्र श्री चुहडमल तोलानी (विक्रेता) मैसर्स– टीकमदास चुहडमल, नाथद्वारा सराय, गुर्जर मौहल्ला, जिला भीलवाडा मिसब्राण्डेड ब्रेड (Brand- Callori Milk Fresh) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्राण्डेड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्येनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 15,000/–रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/06/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री टीकमदास तोलानी पुत्र श्री चुहडमल तोलानी (विक्रेता)
   मैसर्स– टीकमदास चुहडमल, नाथद्वारा सराय, गुर्जर मौहल्ला, जिला भीलवाडा
   स्थाई पता – मकान संख्या – ए–28, शास्त्री नगर, भीलवाडा

27/06/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा
(खाद्य सुरक्षा ... 2006)
भीलवाड़ा (राज.)